



प्रेस नोट—जनपद बिजनौर

दिनांक 19.09.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:—

दिनांक 04.10.2011 को अभियुक्तगण गुलबहार पुत्र मेहर अली निवासी ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर आदि 04 नफर के विरुद्ध थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 384/11 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 19.09.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-06/गैंगस्टर अधिनियम द्वारा अभियुक्त गुलबहार पुत्र मेहर अली निवासी ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम में 02 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

गुलबहार पुत्र मेहर अली निवासी ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 19.09.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने चोरी की दो घटनाओं का अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को चोरी के माल व नगदी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.08.2024 को वादी श्री नेमपाल सिंह पुत्र श्री राजाराम नि० ग्राम पिरथीपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा रात्री में नागदेवता शिवमन्दिर में से इन्वर्टर, बैटरी, चार्जर, भिगोना (बड़ा), माईक, 2 बाल्टी, एक स्टैपलाईजर (5KV) आदि सामान चोरी कर लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु०अ०सं० 426/2024 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।



दिनांक 18.09.2024 को वादी श्री मयंक अग्रवाल पुत्र श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल नि० मंडी कोटला थाना चांदपुर बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान के शटर का ताला तोड़कर दुकान के गल्ले में से 20-22 हजार रुपये चोरी कर लिये गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु०अ०सं० 482/2024 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1.हर्ष उर्फ मोन्टी गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता नि० मौहल्ला सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर, 2. देवांश पुत्र सतीश कुमार नि० मौहल्ला विवेकनगर कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर व 3.अक्षय पुत्र कृष्ण कुमार उर्फ कपूर नि० गुरुद्वारा के सामने कुम्हार गली मौ० सरायरफी कस्बा व थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही –

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.हर्ष उर्फ मोन्टी गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता नि० ज्ञानदीप स्कूल के पास मौहल्ला सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व 2. देवांश पुत्र सतीश कुमार नि० गुलाब सिंह डिग्री कालेज के पाछे मौहल्ला विवेकनगर कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किये गये 16,020/- रुपये की नगदी व एक लोहे का गल्ला, एक बैटरी एक्सआइड कम्पनी पावर सैफ प्लस 12 वोल्ट, इन्वर्टर माइक्रोटेक व एक एल्यूमिनियम का बड़ा भिगोना बरामद किया। माल बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा

317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अभियुक्त अक्षय उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ-

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो ने अपने तीसरे साथी अक्षय पुत्र कृष्ण कुमार उर्फ कपूर (उपरोक्त) के साथ मिलकर करीब दो दिन पहले रात्रि में मौहल्ला मण्डी कोटला से एक दुकान का शटर ऊपर उठाकर दुकान के गल्ले से नगदी चोरी कर ली थी जिसे हम तीनों ने आपस में बांट लिया था। इसके अलावा हम तीनों ने करीब एक महिने पहले रात्रि में ग्राम पिरथीपुर के जंगल में स्थित मन्दिर से बैटरा, इन्वर्टर व भिगोने सहित अन्य सामान चोरी किया था। हमारे साथी अक्षय द्वारा चोरी किये गए सामान में से माइक, बाल्टी, चार्जर व अन्य सामान को पहले ही बेच दिया गया। आज हम दोनो बैटरा इन्वर्टर व भिगोना बेचने की फिराक में थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. हर्ष उर्फ मोन्टी गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता नि० मौहल्ला सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिनजौर
2. देवांश पुत्र सतीश कुमार नि० मौहल्ला विवेकनगर कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी -

चोरी किये गये 16,020/- रूपये की नगदी व एक लोहे का गल्ला, एक बैटरा एक्साइड कम्पनी पावर सैफ प्लस 12 वोल्ट, एक इन्वर्टर माइक्रोटेक कम्पनी व एक एल्यूमिनियम का बड़ा भिगोना

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हर्ष उपरोक्त-

1. मु०अ०सं० 426/2024 धारा 305(ए) / 317(2) बीएनएस 2023
2. मु०अ०सं० 482/2024 धारा 331(4)/305(ए)/ 317(2) बीएनएस 2023

आपराधिक इतिहास अभियुक्त देवांश उपरोक्त-

1. मु०अ०सं० 426/2024 धारा 305(ए) / 317(2) बीएनएस 2023
2. मु०अ०सं० 482/2024 धारा 331(4)/305(ए)/ 317(2) बीएनएस 2023

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० अजीत कुमार थाना चांदपुर बिजनौर
2. हे०का० 361 राजेन्द्र सिंह थाना चांदपुर बिजनौर
3. का० 585 सौरभ पंवार थाना चांदपुर बिजनौर
4. का० 671 जैकी थाना चांदपुर बिजनौर
5. का० 1154 चरणदास थाना चांदपुर बिजनौर
6. का० 2070 मोहित कुमार थाना चांदपुर बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 19.09.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	मण्डावर	रूपेश कुमार पुत्र रामपाल नि०ग्राम मौज्जमपुर सुजान थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
2	अफजलगढ	आदिल उर्फ अनादिल उर्फ पहलवान पुत्र राविन निवासी मौ० बेगम सराय कस्बा संभल
3	बढापुर	वसीउल्ला पुत्र मुन्ना नि० मौ० झौझियान कस्बा व थाना बढापुर



थाना मण्डावर



थाना अफजलगढ



थाना बढापुर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक – 19.09.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 472/2024 धारा 115(2)/351(2)/352/109 बी0एन0एस0 व 3(2)(v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.09.2024 को वादी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.रवि पुत्र छोटे सिंह, 2.दीक्षित सिंह पुत्र सतेन्द्र सिंह, 3.टीटू पुत्र छोटे सिंह निवासीगण ग्राम धनसीनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 4.सत्यम पुत्र छुन्नम सिंह निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादी व वादी के भतीजे के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गई व वादी के भतीजे को जान से मारने की धमकी देते हुए तमंचे से फायर किया गया । तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 472/2024 धारा 115(2)/351(2)/352/109 बी0एन0एस0 व 3(2)(v) एस0सी0/एस0टी0 पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सत्यम पुत्र छुन्नम सिंह निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सत्यम पुत्र छुन्नम सिंह निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.का0 1161 सुनील कसाना थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.का0 2331 सुभाषचन्द थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक – 19.09.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गयी अंगूठी (पीली धातू) व नगदी सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.09.2024 को वादी श्री अरूण कुमार रंधर पुत्र श्री जगदीश प्रसाद रंधर निवासी मौ० दीवान परमानन्द थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के घर से एक अंगूठी, 02 चांदी के बर्तन व लगभग 5000/- रुपये चोरी कर लिये है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु०अ०सं० 469/2024 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त अजय पुत्र मनोज निवासी मौ० पाईबाग थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से एक अंगूठी (पीली धातू) व 5000 /- रुपये बरामद किये गये । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अजय पुत्र मनोज निवासी मौ० पाईबाग थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अंगूठी (पीली धातू) व 5000 /- रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री सुभाषचन्द यादव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. कां० 2452 सतेन्द्र थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. कां० 1682 रोहित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4. कां० 1790 राहुल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5. कां० 2194 विनित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 19.09.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गयी होंडा सिटी कार, सेन्ट्रो कार, 03 कार कटी हुई (होन्डा सिटी, आल्टो, सेन्ट्रो), 40 स्टेपनी मय टायर, भारी मात्रा में गाड़ियों के कटे हुये पुर्जे तथा गाड़ियों का कटा हुआ करीब 05 टन स्क्रेप बरामद किया गया।

कार्यवाही का विवरण –

अवगत कराना है कि थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं स्वाट / सर्विलांस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.आरिफ पुत्र जमशेद निवासी मौहल्ला रहमत नगर उर्फ मक्खी नगर कस्बा व थाना कोतवाली नगर जनपद मुज्जफरनगर व 2.शमीम पुत्र नसीम निवासी मिमनाला रोड कुटटी मशीन बाली गली थाना कोतवाली नगर जनपद मुज्जफरनगर को होन्डा सिटी कार रजि0 सं0 DLICAC6548 सहित गिरफ्तार किया गया। गाडी को चेक किया गया तो गाडी पर आगे-पीछे DLICAC 6548 नम्बर की नम्बर प्लेट लगी है तथा गाडी की पिछली सीट पर UP161105 की कटी हुई नम्बर प्लेट बरामद हुई।

गाडी के बारे में पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि ये कार हमने दो दिन पहले ही रुड़की के पास से चोरी की है तथा जो नम्बर प्लेट आपको गाडी से बरामद हुई है उसका पूरा नम्बर UP16H0593 है। यह नम्बर भी होण्डा कार का ही है, जिसे हमने 03 दिन पहले दिनांक 15.09.2024 की रात्रि में मौहल्ला बुखारा बिजनौर से चोरी किया था। रजि0सं0 UP16H0593 को चेक किया गया तो यह गाड़ी सरफराज आलम पुत्र मौ0 ताहिर निवासी वार्ड नं0 12 जानी का चौराहा मौहल्ला चाहशीरी बिजनौर के नाम होण्डा सिटी कार दिख रही है। इस सम्बन्ध मे थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 0887/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। आरिफ व शमीम से सख्ती से पूछताछ की गयी तो दोनो ने बताया कि हम दोनो मिल कर अलग अलग शहरों से गाड़ियां (कार) चोरी कर चोरी की गाडी को अपने दोस्त मोहसिन पुत्र इकबाल अहमद निवासी गुमानी वाली गली अमितप्राम गली नं0 10 ऋषिकेश थाना श्यामपुर जनपद देहरादून उत्तराखण्ड को 15 से 20 हजार रुपये में बेच देते हैं। हमने इससे पहले भी बिजनौर से एक गाड़ी वैगनार एंव 02 गाड़ी होन्डा सिटी भी चोरी की है, जो हमने अपने दोस्त मोहसिन उपरोक्त को बेच दी थी। मोहसिन का गैराज खाण्ड गांव विस्थापित थाना ऋषिकेश जिला देहरादून उत्तराखण्ड में है। चोरी की गयी सभी गाड़ियां हमने मोहसीन को बेची हैं। मोहसिन गाड़ियों को काट कर उनके पुर्जे अलग अलग बेच देता है, यदि मोहसीन के गैराज को चलकर चैक किया तो कुछ गाड़िया और उनके पुर्जे बरामद हो सकते हैं। अभियुक्तों द्वारा बताये स्थान खाण्ड गांव विस्थापित थाना ऋषिकेश जिला देहरादून उत्तराखण्ड में गैराज मालिक मोहसीन उपरोक्त को दो अन्य साथी इजहार पुत्र हाजी निसार निवासी दक्षिण सिविल लाईन तकिया अन्सारीयान थाना सिविल लाईन जनपद मुज्जफरनगर व फारुख पुत्र याकूब निवासी गांव खेडी करमू थाना शामली जनपद शामली को पुलिस हिरासत में लिया गया। गैराज की तलाशी से थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0887/2024 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित होण्डा सिटी कार जिसके कटी हुई अवस्था मे बरामद हुई तथा इसके

अलावा थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0848/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित वेगनार का इंजन जिस पर केवल आधा नम्बर 1-10DN4 लिखा है बरामद हुआ। थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0763/2024 धारा 303(2) बीएनएस की होण्डा सिटी कार की एक स्टेपनी जिसके व्हील पर अन्दर की तरफ DL3CAY7702 सफेद रंग के पेन्ट से लिखा है बरामद हुई तथा थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत म0अ0सं0 0781/2024 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित होण्डा सिटी कार की दो स्टेपनी जिसके व्हील पर अन्दर की तरफ UP15AD7583 सफेद रंग के पेन्ट से लिखा हुआ है बरामद हुई। इसके अतिरिक्त एक कार सेन्ट्रो रंग सिल्वर चालू हालत में जिसका रजि0 सं0 UP15B1551, 02 कार कटी हुई (आल्टो व सेन्ट्रो) तथा गाडियों के कटे हुये पुर्जे, 13 गीयर बक्से, गाडियों के 04 इंजन आल्टो 800, एक इंजन आल्टो, एक इंजन इनोवा नम्बर व एक इंजन स्विफ्ट कार, 4 डिफ्लेन्सर, 40 स्टेपनी तथा गाडियों का कटा हुआ करीब 05 टन स्क्रैप बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. आरिफ पुत्र जमशेद निवासी मौ0 रहमतनगर उर्फ मक्खीनगर कस्बा व थाना कोतवाली नगर मुज्जफरनगर
2. शमीम पुत्र नसीम निवासी मिमनाला रोड कुट्टी मशीन बाली गली थाना कोतवाली नगर मुज्जफरनगर
3. मोहसिन पुत्र इकबाल अहमद निवासी गुमानी वाली गली अमितप्राम गली नं0 10 ऋषिकेश थाना श्यामपुर जनपद देहरादून उत्तराखण्ड
4. इजहार पुत्र हाजी निसार निवासी दक्षिण सिविल लाईन तकिया अन्सारीयान थाना सिविल लाईन जनपद मुज्जफरनगर
5. फारुख पुत्र याकूब निवासी गांव खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली

अभियुक्त आरिफ का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 0983/2005 धारा 380/511 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुज्जफरनगर
2. मु0अ0सं0 1434/2008 थाना कोतवाली नगर जनपद मुज्जफरनगर
3. मु0अ0सं0 0001/2017 धारा 2(B)(ii)/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नई मंडी जनपद मुज्जफरनगर
4. मु0अ0सं0 1470/2016 धारा 379/411 भादवि थाना नई मंडी जनपद मुज्जफरनगर
5. मु0अ0सं0 1528/2016 धारा 379/411 भादवि थाना नई मंडी जनपद मुज्जफरनगर
6. मु0अ0सं0 1608/2016 धारा 307 भादवि थाना नई मंडी जनपद मुज्जफरनगर
7. मु0अ0सं0 1612/2016 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना नई मंडी जनपद मुज्जफरनगर
8. मु0अ0सं0 1613/2016 धारा 420/414/467/468/471 भादवि थाना नई मंडी जनपद मुज्जफरनगर

बरामदगी –

एक होंडा सिटी कार, एक सेन्ट्रो कार,
03 कार कटी हुई (होन्डा सिटी, आल्टो, सेन्ट्रो),
40 स्टेपनी मय टायर,
भारी मात्रा में गाडियों के कटे हुये पुर्जे तथा गाडियों के पुर्जों का कटा हुआ करीब 05 टन स्क्रैप

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना कोतवाली शहर पुलिस

स्वाट / सर्विलांस टीम